वक्फ संशोधन कानून की वैधानिकता पर अगले सीजेआइ की पीठ करेगी सुनवाई

- प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत
- मामले को 15 मई को जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का दिया आदेश

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: वक्फ संशोधन कानून, 2025 की वैधानिकता पर अब अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) बीआर गवई की पीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत बताते हुए मामले को 15 मई को जस्टिस गवई की पीठ में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया। सीजेआइ संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद जस्टिस गवई भारत के प्रधान न्यायाधीश बनेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं जिनमें वक्फ संशोधन कानून, 2025 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कोर्ट से कानून पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार व अन्य प्रतिपक्षियों को जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन को आदेश में दर्ज किया था।

केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि अगले आदेश तक केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके अलावा अधिसूचित या पंजीकृत वक्फ जिनमें वक्फ बाई यूजर (उपयोग के आधार पर वक्फ) भी शामिल हैं, उन्हें गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा और न ही उनकी प्रकृति बदली जाएगी। इस बीच, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का जवाब दाखिल कर कानून का बचाव किया। केंद्र ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने का भी विरोध किया। केंद्र ने कहा कि यह कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और न ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

सोमवार को सभी याचिकाएं सीजेआइ खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगीं थीं। सीजेआइ खन्ना ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए जवाब और याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए प्रतिउत्तरों को देखा है। केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर कुछ बिंदु उठाए हैं और याचिकाकर्ताओं ने भी कुछ मुद्दों पर विवाद उठाया है। साथ ही कहा कि केंद्र का हलफनामा काफ़ी विस्तृत है और इसमें पिछली तिथि पर व्यक्त की गईं चिंताओं से संबंधित अधिकांश मुद्दों पर विचार किया गया है। इन पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। दो चीजें हैं जिन पर स्पष्टीकरण चाहिए होगा, इसके लिए मामले पर किसी दिन विस्तृत सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी इस स्तर पर हम कोई आदेश सुरक्षित नहीं करना चाहते और न ही कोई अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह इस मामले को जस्टिस गवई की पीठ को भेज रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 15 मई को जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की ओर से पेश वकीलों कपिल सिब्बल और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट की बात का समर्थन किया। जस्टिस खन्ना की सेवानिवृत्ति का जिक्र आने पर जब मेहता ने दुख जताया तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह इसका इंतजार कर रहे हैं।

Scanned by CamScanner